भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3475

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दीर्घकालिक गैर-संक्रामक रोगों के मामले

†3475. श्री सौमेंदु अधिकारीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत दोहरी बीमारियों के बोझ का सामना कर रहा है, जिसमें हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी दीर्घकालिक गैर-संक्रामक बीमारियों (एनसीडी) के साथ-साथ तपेदिक, मलेरिया और जलजनित बीमारियों जैसी दीर्घकालिक संक्रामक बीमारियां भी बढ़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हृदय तथा रक्तवाहिकाओं संबंधी रोग, दीर्घकालिक अवरोधी फुफ्फुसीय रोग (सीओपीडी), मधुमेह और कैंसर अब कुल 63 प्रतिशत मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं और क्या सरकार ने ऐसी उपचार प्रक्रियाओं में शामिल पर्याप्त बजटीय लागतों को देखते हुए रोगियों को 100 प्रतिशत निःशुल्क उपचार सुविधाएं प्रदान करने का विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की देश में सभी आयु वर्ग के रोगियों की सहायता करने के लिए उन्हें निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान करने की कोई व्यापक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में प्रकाशित "राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (2023-2030) संबंधी परिचालन दिशानिर्देश" के अनुसार, देश में होने वाली सभी मौतों में से 63% गैर-संचारी रोगों के कारण होती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को

तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरनचा को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, जांच, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत 770 जिला एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार, सरकार ने अगले 3 वर्षों में प्रत्येक जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर केंद्र (डीसीसीसी) स्थापित करने की योजना बनाई है। वर्तमान में, देश भर में 479 डे केयर कैंसर केंद्र कार्यशील हैं।

पूरे देश में सामान्य गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सामान्य एनसीडी की जांच के लिए लक्षित किया गया है।

'विशिष्ट परिचर्या कैंसर सुविधाकेंद्रों को सुदृढ़ करने की योजना' के तहत, देश भर में 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) स्थापित किए गए हैं।

कैंसर सहित प्रमुख एनसीडी का उपचार आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत उपलब्ध है। यह योजना पैनलबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रदान करती है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और उपचार किफायती दवाएं एवं विश्वसनीय के लिए प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसियां कैंसर की सस्ती दवाओं, स्टेंट और प्रत्यारोपण तक पहुंच में सुधार करती हैं, जिससे मरीज का जेबी खर्च कम होता है और दीर्घकालिक उपचार का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल और निःशुल्क निदान सेवाएं जन स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं और निदान सुविधाकेंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, जिससे मरीज का जेबी खर्च कम होता है। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत जिला एवं उप-मंडल अस्पतालों में कैंसर रोधी दवाओं को आवश्यक औषधि सूची में शामिल किया गया है।
